संख्या- 20/2022/ 578 /2022 /002-17-1002-099-55-2019-ई255178

प्रेषक,

कृपा शंकर यादव,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांक 23 जून, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या- 17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 7209.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 224 /ले0शा0/बजट/ 2022-23 दिनांक 09.06.2022 का कृपया सदंर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु प्राविधानित बजट के सापेक्ष, लेखानुदान अवधि हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति की धनराशि को समायोजित करते हुए, मतदेय धनराशि रू0 7203.16 लाख एवं भारित धनराशि रू0 6.34 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 7209.50 लाख (रू0 बहत्तर करोड नौ लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454 /दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून,2022 में अंकित दिशा-निर्देशानुसार, मतदेय धनराशि रू0 7203.16 लाख एवं भारित धनराशि रू0 6.34 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 7209.50 लाख (रू0 बहत्तर करोड नौ लाख पचास हजार मात्र) को श्री राज्यपाल प्रस्तर-2 में उल्लिखित विवरण/मदों के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग शासन द्वारा पूर्व निर्धारित नियमों/ शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि को निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार प्राप्त नही होता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(3) जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्कता होने पर ही किया जाय। एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड प्रबंनधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।
(4) सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर ली जाय और जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रति माह समान रूप से की जाय।
(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।
(6) जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करते समय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशें का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(7) मानक मद 04 एवं 15 में आवंटित धनराशि का विनियमन इस प्रकार किया जाये, जिसमें पेट्रोल /यात्रा भत्ता बीजकों का नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित हो सके।
(8) विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार प्रसार के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
(9) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ –साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
(10) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित / वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियत्रंण के सम्बंध में शासनादेश संख्या- बी-1-1195/ दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
(11) स्वीकृत धनराशि का आहरण /व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 13 /2022/ बी-1-454 /दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों व अन्य सुसंगत शासनादेशों /नियमों में दिये गये निर्देशों /शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2405000010300 (अधिष्ठान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	017	2405000010300 अधिष्ठान	01 वेतन	7,82,35,000 (रुपये सात करोड़ बयासी लाख पैंतीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

2	017	2405000010300 अधिष्ठान	03 मंहगाई भत्ता	2,06,08,000 (रुपये दो करोड़ छह लाख आठ हजार मात्र)
3	017	2405000010300 अधिष्ठान	04 यात्रा व्यय	7,34,000 (रुपये सात लाख चौंतीस हजार मात्र)
4	017	2405000010300 अधिष्ठान	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)
5	017	2405000010300 अधिष्ठान	06 अन्य भत्ते	3,34,000 (रुपये तीन लाख चौंतीस हजार मात्र)
6	017	2405000010300 अधिष्ठान	08 कार्यालय व्यय	36,67,000 (रुपये छत्तीस लाख सड़सठ हजार मात्र)
7	017	2405000010300 अधिष्ठान	09 विद्युत देय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
8	017	2405000010300 अधिष्ठान	10 जलकर / जल प्रभार	6,67,000 (रुपये छह लाख सड़सठ हजार मात्र)
9	017	2405000010300 अधिष्ठान	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	9,34,000 (रुपये नौ लाख चौंतीस हजार मात्र)
10	017	2405000010300 अधिष्ठान	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,25,000 (रुपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र)
11	017	2405000010300 अधिष्ठान	13 टेलीफोन पर व्यय	1,17,000 (रुपये एक लाख सत्रह हजार मात्र)
12	017	2405000010300 अधिष्ठान	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	18,34,000 (रुपये अठारह लाख चौंतीस हजार मात्र)
13	017	2405000010300 अधिष्ठान	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	11,00,000 (रुपये ग्यारह लाख मात्र)
14	017	2405000010300 अधिष्ठान	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
15	017	2405000010300 अधिष्ठान	29 अनुरक्षण	16,67,000 (रुपये सोलह लाख सड़सठ हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16	017	2405000010300 अधिष्ठान	42 अन्य व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
17	017	2405000010300 अधिष्ठान	42 अन्य व्यय => (भारित)	3,34,000 (रुपये तीन लाख चौंतीस हजार मात्र)
18	017	2405000010300 अधिष्ठान	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,84,000 (रुपये एक लाख चौरासी हजार मात्र)
19	017	2405000010300 अधिष्ठान	45 अवकाश यात्रा व्यय	34,000 (रुपये चौंतीस हजार मात्र)
20	017	2405000010300 अधिष्ठान	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	4,67,000 (रुपये चार लाख सड़सठ हजार मात्र)
21	017	2405000010300 अधिष्ठान	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	9,17,000 (रुपये नौ लाख सत्रह हजार मात्र)
22	017	2405000010300 अधिष्ठान	49 चिकित्सा व्यय	23,34,000 (रुपये तेईस लाख चौंतीस हजार मात्र)
23	017	2405000010300 अधिष्ठान	51 वर्दी व्यय	34,000 (रुपये चौंतीस हजार मात्र)
24	017	2405000010300 अधिष्ठान	52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
25	017	2405000010300 अधिष्ठान	55 मकान किराया भत्ता	45,00,000 (रुपये पैंतालीस लाख मात्र)
26	017	2405000010300 अधिष्ठान	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	46,67,000 (रुपये छियालीस लाख सड़सठ हजार मात्र)
	कुल			**12,76,43,000 (रुपये बारह करोड़ छिहत्तर लाख तैंतालीस हजार मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(लेखाशीर्ष: 2405001090300 (मत्स्य पालन शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	017	2405001090300 मत्स्य पालन शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,60,000 (रुपये एक लाख साठ हजार मात्र)
	कुल			**1,60,000** **(रुपये एक लाख साठ हजार मात्र)**

(लेखाशीर्ष: 2405001900300 (मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	017	2405001900300 मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	29,17,000 (रुपये उन्तीस लाख सत्रह हजार मात्र)
2	017	2405001900300 मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	2,30,41,000 (रुपये दो करोड़ तीस लाख इकतालीस हजार मात्र)
3	017	2405001900300 मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता	53 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	26,95,000 (रुपये छब्बीस लाख पंचानबे हजार मात्र)
	कुल			**2,86,53,000** **(रुपये दो करोड़ छियासी लाख तिरपन हजार मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(लेखाशीर्ष: 2405008000300 (अनुसंधान -सामान्य)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	01 वेतन	38,86,22,000 (रुपये अड़तीस करोड़ छियासी लाख बाईस हजार मात्र)
2	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	02 मजदूरी	2,67,000 (रुपये दो लाख सड़सठ हजार मात्र)
3	017	2405008000300 अनुसंधान-सामान्य	03 मंहगाई भत्ता	10,23,64,000 (रुपये दस करोड़ तेईस लाख चौंसठ हजार मात्र)
4	017	2405008000300 अनुसंधान-सामान्य	04 यात्रा व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
5	017	2405008000300 अनुसंधान-सामान्य	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	8,34,000 (रुपये आठ लाख चौंतीस हजार मात्र)
6	017	2405008000300 अनुसंधान-सामान्य	06 अन्य भत्ते	6,67,000 (रुपये छह लाख सड़सठ हजार मात्र)
7	017	2405008000300 अनुसंधान-सामान्य	07 मानदेय	2,67,000 (रुपये दो लाख सड़सठ हजार मात्र)
8	017	2405008000300 अनुसंधान-सामान्य	08 कार्यालय व्यय	28,67,000 (रुपये अट्ठाईस लाख सड़सठ हजार मात्र)
9	017	2405008000300 अनुसंधान-सामान्य	09 विद्युत देय	45,00,000 (रुपये पैंतालीस लाख मात्र)
10	017	2405008000300 अनुसंधान-सामान्य	10 जलकर / जल प्रभार	1,17,000 (रुपये एक लाख सत्रह हजार मात्र)
11	017	2405008000300 अनुसंधान-सामान्य	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	9,34,000 (रुपये नौ लाख चौंतीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12	017	2405008000300 अनुसंधान-सामान्य	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,67,000 (रुपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र)
13	017	2405008000300 अनुसंधान-सामान्य	13 टेलीफोन पर व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
14	017	2405008000300 अनुसंधान-सामान्य	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	11,00,000 (रुपये ग्यारह लाख मात्र)
15	017	2405008000300 अनुसंधान-सामान्य	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	13,34,000 (रुपये तेरह लाख चौंतीस हजार मात्र)
16	017	2405008000300 अनुसंधान-सामान्य	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	15,34,000 (रुपये पंद्रह लाख चौंतीस हजार मात्र)
17	017	2405008000300 अनुसंधान-सामान्य	18 प्रकाशन	1,84,000 (रुपये एक लाख चौरासी हजार मात्र)
18	017	2405008000300 अनुसंधान-सामान्य	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	1,90,000 (रुपये एक लाख नव्वे हजार मात्र)
19	017	2405008000300 अनुसंधान-सामान्य	29 अनुरक्षण	9,67,000 (रुपये नौ लाख सड़सठ हजार मात्र)
20	017	2405008000300 अनुसंधान-सामान्य	42 अन्य व्यय	24,67,000 (रुपये चौबीस लाख सड़सठ हजार मात्र)
21	017	2405008000300 अनुसंधान-सामान्य	42 अन्य व्यय => (भारित)	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
22	017	2405008000300 अनुसंधान-सामान्य	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,84,000 (रुपये एक लाख चौरासी हजार मात्र)
23	017	2405008000300 अनुसंधान-सामान्य	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,67,000 (रुपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

24	017	2405008000300 अनुसंधान-सामान्य	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	8,34,000 (रुपये आठ लाख चौंतीस हजार मात्र)
25	017	2405008000300 अनुसंधान-सामान्य	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	19,34,000 (रुपये उन्नीस लाख चौंतीस हजार मात्र)
26	017	2405008000300 अनुसंधान-सामान्य	49 चिकित्सा व्यय	30,67,000 (रुपये तीस लाख सड़सठ हजार मात्र)
27	017	2405008000300 अनुसंधान-सामान्य	51 वर्दी व्यय	1,17,000 (रुपये एक लाख सत्रह हजार मात्र)
28	017	2405008000300 अनुसंधान-सामान्य	52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
29	017	2405008000300 अनुसंधान-सामान्य	55 मकान किराया भत्ता	2,16,67,000 (रुपये दो करोड़ सोलह लाख सड़सठ हजार मात्र)
30	017	2405008000300 अनुसंधान-सामान्य	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	8,34,000 (रुपये आठ लाख चौंतीस हजार मात्र)
	कुल			**54,11,86,000** **(रुपये चौवन करोड़ ग्यारह लाख छियासी हजार मात्र)**

(लेखाशीर्ष: 2405008000400 (प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	01 वेतन	92,67,000 (रुपये बयान्वे लाख सड़सठ हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	03 मंहगाई भत्ता	24,41,000 (रुपये चौबीस लाख इकतालीस हजार मात्र)
3	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	04 यात्रा व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
4	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2,34,000 (रुपये दो लाख चौंतीस हजार मात्र)
5	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	06 अन्य भत्ते	67,000 (रुपये सड़सठ हजार मात्र)
6	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	08 कार्यालय व्यय	2,34,000 (रुपये दो लाख चौंतीस हजार मात्र)
7	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	09 विद्युत देय	4,34,000 (रुपये चार लाख चौंतीस हजार मात्र)
8	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
9	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,67,000 (रुपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	13 टेलीफोन पर व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
11	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3,34,000 (रुपये तीन लाख चौंतीस हजार मात्र)
12	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	3,67,000 (रुपये तीन लाख सड़सठ हजार मात्र)
13	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	45 अवकाश यात्रा व्यय	84,000 (रुपये चौरासी हजार मात्र)
14	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3,34,000 (रुपये तीन लाख चौंतीस हजार मात्र)
15	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	49 चिकित्सा व्यय	7,67,000 (रुपये सात लाख सड़सठ हजार मात्र)
16	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	51 वर्दी व्यय	44,000 (रुपये चवालीस हजार मात्र)
17	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

18	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	55 मकान किराया भत्ता	22,00,000 (रुपये बाईस लाख मात्र)
19	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3,34,000 (रुपये तीन लाख चौंतीस हजार मात्र)
	कुल			**1,81,09,000** **(रुपये एक करोड़ इक्यासी लाख नौ हजार मात्र)**

(लेखाशीर्ष: 2405008000500 (राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	02 मजदूरी	1,67,000 (रुपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र)
2	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	04 यात्रा व्यय	84,000 (रुपये चौरासी हजार मात्र)
3	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	08 कार्यालय व्यय	9,84,000 (रुपये नौ लाख चौरासी हजार मात्र)
4	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	09 विद्युत देय	16,67,000 (रुपये सोलह लाख सड़सठ हजार मात्र)
5	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	10 जलकर / जल प्रभार	1,84,000 (रुपये एक लाख चौरासी हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2,92,000 (रुपये दो लाख बयान्वे हजार मात्र)
7	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,84,000 (रुपये एक लाख चौरासी हजार मात्र)
8	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	13 टेलीफोन पर व्यय	94,000 (रुपये चौरानवे हजार मात्र)
9	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	42,000 (रुपये बयालीस हजार मात्र)
10	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
11	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	18 प्रकाशन	97,000 (रुपये सत्तानवे हजार मात्र)
12	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	42 अन्य व्यय	1,92,000 (रुपये एक लाख बयान्वे हजार मात्र)
13	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	4,67,000 (रुपये चार लाख सड़सठ हजार मात्र)
14	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,94,000 (रुपये एक लाख चौरानवे हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	51 वर्दी व्यय	17,000 (रुपये सत्रह हजार मात्र)
	कुल			**49,65,000** **(रुपये उनचास लाख पैंसठ हजार मात्र)**

(लेखाशीर्ष: 2405008001100(प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	017	2405008001100 प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण	39 औषधि तथा रसायन	2,34,000 (रुपये दो लाख चौंतीस हजार मात्र)
	कुल			**2,34,000** **(रुपये दो लाख चौंतीस हजार मात्र)**
महायोग				72,09,50,000 (रुपये बहत्तर करोड़ नौ लाख पचास हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 /2022/ बी-1-454/ दस- 2022-231/2022 दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृपा शंकर यादव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 20/2022/578/2022 /002-17-1002-099-55-2019-ई 255178, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 लखनऊ/ प्रयागराज ।
3- संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक मत्स्य(नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0।
6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-3 ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
उप सचिव।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।